Uttarakhand Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248006
Phone : 0135-2768820 FAX: 0135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली,
देहरादून – 248 006
दूरभाष 0135–2768820, फैक्स 0135–2769771

पत्रांक 7353 –निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0–2/2009/ए0ई0 दिनांक : 3/3/10

कार्यालय ज्ञाप

लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर निम्न नव–नियुक्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु), वि0 एवं यां0 जिन्होंने निदेशक (मा0सं0), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून के कार्यालय में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या–3 में इंगित तिथि को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की है, को तत्काल प्रभाव से कार्यक्षेत्र में प्राविधिक प्रशिक्षण हेतु अग्रेतर आदेशों तक उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या–4 में इंगित अधिकारी/कार्यालय के नियन्त्रणाधीन तैनात किया जाता है ।

क्रम सं0	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) का नाम (सर्वश्री)/अनुक्रमांक/ गृह जनपद	योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि	तैनाती कार्यालय/ नियन्त्रक अधिकारी
1	2	3	4
1	प्रवीण सिंह नेगी 19010648 (टिहरी)	24.2.2010 (FN)	Chief General Manager (Commercial), UPCL, Urja Bhawan, Dehradun.

सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी उपरोक्त तालिका में इंगित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को उनके द्वारा कारपोरेशन में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि (कॉलम संख्या–3) से वेतन का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

नियन्त्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि सभी सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को कार्यक्षेत्र की विभिन्न इकाइयों यथा– विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड, विद्युत वितरण उपकेन्द्र, विद्युत कार्यशाला, विद्युत परीक्षण खण्ड इत्यादि के कार्यकलापों से भली भांति परिचित कराते हुए इन खण्डों/उपखण्डों का भ्रमण भी करायेंगे । प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से मीटर इन्स्टॉलेशन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देंगे । सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण/प्रगति इत्यादि के सम्बन्ध में अपने नियन्त्रक अधिकारी को माहवार विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जायेगी । इन प्रशिक्षण/प्रगति आख्याओं को नियन्त्रक अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) द्वारा उनके नियन्त्रक अधिकारी के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त नियन्त्रक अधिकारी प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक –निदेशक (मा0सं0)/के0एफ0–2/2009/ए0ई0 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक/नि0(मा0सं0/वित्त/परि0/परियोजना), उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/समस्त महाप्रबन्धक, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
3. महाप्रबन्धक (वितरण), उपाकालि, गढ़वाल/कुमाऊं क्षेत्र, देहरादून/हल्द्वानी ।
4. उपमहाप्रबन्धक (विधिक)/कम्पनी सचिव/सूचना प्रौद्योगिकी, उपाकालि, ऊर्जा भवन, देहरादून ।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक (वित्त), उपाकालि, ... ।
6. सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/ अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, ... ।
7. सम्बन्धित कार्मिक/कार्यालय ज्ञाप पंजिका/वैयक्तिक पंजिका ।

(शरद कृष्ण)
निदेशक (मानव संसाधन)